

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि०सं०:- भवन/स्था०-०१-विविध-२९/२०२३.....३५३ (अ) /पटना, दिनांक- १२/११/२६

अधिसूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत श्री विनोद चौधरी, अधीक्षण अभियंता (असैनिक) वरीयता क्रमांक-०९/२४ को मुख्य अभियंता (असैनिक) में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-१३९) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार देते हुये मुख्य अभियंता (निरुपण), भवन निर्माण विभाग के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

२. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३०० दिनांक-१३.१०.२०२३ में निहित शर्तों के अधीन है।

३. श्री चौधरी को प्रभार ग्रहण की तिथि से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

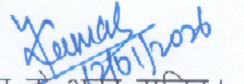
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नीरज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

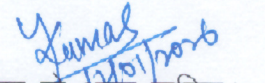
ज्ञापांक:- भवन/स्था०-०१-विविध-२९/२०२३.....३५३ (अ) /पटना, दिनांक- १२/११/२६

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना के माध्यम से)।


सरकार के अवर सचिव।

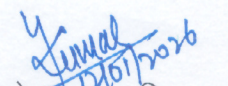
ज्ञापांक:- भवन/स्था०-०१-विविध-२९/२०२३.....३५३ (अ) /पटना, दिनांक- १२/११/२६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- भवन/स्था०-०१-विविध-२९/२०२३.....३५३ (अ) /पटना, दिनांक- १२/११/२६

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/ लोकायुक्त के सचिव/तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग/सभी अभियंता प्रमुख/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित)/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/सभी अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/श्री विनोद चौधरी, निदेशक, अनुश्रवण/आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
३२-५०